न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 19/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री पुरूषोत्तम गुर्जर पुत्र श्री हमीराराम गुर्जर
निवासी नायक कॉलोनी पुष्कर शहर जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री पुरूषोत्तम– अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 14.03.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी अजमेर के हमराज श्री खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, श्री योगेश मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा नायक कॉलोनी में श्री पुरूषोत्तम गुर्जर के मकान पर पहुॅचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी जिसमें वक्त जांच मौके पर श्री पुरूषोत्तम गुर्जर का मकान घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होना तथा इस मकान में अन्य परिवारो का भी निवास होना पाया गया । मौके पर श्री पुरूषोत्तम द्वारा अपने मकान की किचन में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा के छोटे अप्रमाणित बिना आई.एस.आई मार्को के गैस सिलेण्डरो में गैस रिफिलिंग किया जाना पाया गया । मौके पर श्री पुरूषोत्तम के मकान से गैस रिफिलिंग के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली निम्न सामग्री पाई गई।

क्र.सं	कम्पनी नाम	श्रेणी	Sr. No.	T.W.	G.W.	N.W. GAS
1	HPCL	घरेलू एलपीजी सिलेण्डर	199346T	15.4	29.6	14.2

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

2	HPCL	घरेलू एलपीजी सिलेण्डर	645076	15.6	20.6	5
3	HPCL	घरेलू एलपीजी सिलेण्डर	22046	19.1	19.1	
4	तीन अप्रमाणित बिना आईएसआई कम्पनी के छोटे सिलेण्डर जिनमें से एक छोटे सिलेण्डर में एक किग्रा गैस भरी हैं।	NIL	NIL			1
5	एक रिफिलिंग बांसुरी					
6	एक इलेक्ट्रिक कांटा					
7	एक रेगुलेटर					

मौके पर श्री पुरूषोत्तम गुर्जर द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में स्थित मकान के रसोई घर में किये जा रहे अवैध गेस रिफिलिंग का उक्त कृत्य आर्थिक हितो के लिए मानव जीवन को जानबूझकर खंतरे में डाला जाना प्रतीत होने पर श्री पुरूषोत्तम से इस सबंध में जानकारी लेने पर श्री पुरूषोत्तम द्वारा पैसे कमाने हेतु इस कार्य को किया जाना स्वीकार किया गया । इस कारण उपरोक्त वर्णित सामग्री को राजहित में जब्त कर पुष्कर भारत गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री रोहित चौहान को अग्रिम आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर प्राप्त साक्ष्यो से प्रथम दृष्टया घनी आबादी क्षेत्र में स्थित मकान पर श्री पुरूषोत्तम गुर्जर का उक्त कृत्य अपने आर्थिक हितो के लिए अवैध रूप से एलपीजी भण्डारण व्यवसाय व रिफलिंग कार्य किया जाकर मानव जीवन को जोखिम एवं दुर्घटना प्रबल संभावना कारक कृत्य किया जाना प्रकट हुआ है तथा अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख)4(1)(ख) एवं 6(1)(क)(ग) की अवहेलना कि जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 में दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर मय कुल 20.2 किलोग्राम एलपीजी, 01 रिफिलिंग बांसूरी तथा 01 इलेक्ट्रिक कांटा व 01 रेगुलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्री पुरुषोत्तम गुर्जर का मकान घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होना तथा इस मकान में अन्य परिवारो का भी निवास होना पाया गया । मौके पर श्री पुरुषोत्तम द्वारा अपने मकान की किचन में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा के छोटे

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

अप्रमाणित बिना आई.एस.आई मार्को के गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग किया जाना पाया गया । मौके पर श्री पुरूषोत्तम के मकान से गैस रिफिलिंग के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री पाई गई। मौके पर प्राप्त साक्ष्यो से प्रथम दृष्टया घनी आबादी क्षेत्र में स्थित मकान पर श्री पुरूषोत्तम गुर्जर का उक्त कृत्य अपने आर्थिक हितो के लिए अवैध रूप से एलपीजी भण्डारण व्यवसाय व रिफलिंग कार्य किया जाकर मानव जीवन को जोखिम एवं दुर्घटना प्रबल संभावना कारक कृत्य किया जाना प्रकट हुआ है तथा अप्रार्थी द्वारा एल.पी. जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख)4(1)(ख) एवं 6(1)(क)(ग) की अवहेलना कि जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 में दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर मय कुल 20.2 किलोग्राम एलपीजी, 01 रिफलिंग बांसूरी तथा 01 इलेक्ट्रिक कांटा व 01 रेगुलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। जवाब में अप्रार्थी ने भूलवंश प्रार्थी से उक्त कृत्य कारित हो गया है जिसके लिये प्रार्थी क्षमा चायना करता है। प्रार्थी के द्वारा भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नही की जाएगी।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 11.01.2023 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 3 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर मय कुल 20.2 किलोग्राम एलपीजी, 01 रिफलिंग बांसूरी तथा 01 इलेक्ट्रिक कांटा व 01 रेगुलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर अप्रामाणित छोटे सिलेण्डर का निस्तारण नियमानुसार करे । चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर